

### Section 117 : Appeal to High Court

- (1) Any person aggrieved by any order passed by the <sup>1</sup>[State Benches] of the Appellate Tribunal may file an appeal to the High Court and the High Court may admit such appeal, if it is satisfied that the case involves a substantial question of law.
- (2) An appeal under sub-section (1) shall be filed within a period of one hundred and eighty days from the date on which the order appealed against is received by the aggrieved person and it shall be in such form, verified in such manner as may be prescribed:  
**Provided** that the High Court may entertain an appeal after the expiry of the said period if it is satisfied that there was sufficient cause for not filing it within such period.
- (3) Where the High Court is satisfied that a substantial question of law is involved in any case, it shall formulate that question and the appeal shall be heard only on the question so formulated, and the respondents shall, at the hearing of the appeal, be allowed to argue that the case does not involve such question:  
**Provided** that nothing in this sub-section shall be deemed to take away or abridge the power of the court to hear, for reasons to be recorded, the appeal on any other substantial question of law not formulated by it, if it is satisfied that the case involves such question.
- (4) The High Court shall decide the question of law so formulated and deliver such judgment thereon containing the grounds on which such decision is founded and may award such cost as it deems fit.
- (5) The High Court may determine any issue which—
  - (a) has not been determined by the <sup>2</sup>[State Benches]; or
  - (b) has been wrongly determined by the <sup>3</sup>[State Benches], by reason of a decision on such question of law as herein referred to in sub-section (3).
- (6) Where an appeal has been filed before the High Court, it shall be heard by a Bench of not less than two Judges of the High Court, and shall be decided in accordance with the opinion of such Judges or of the majority, if any, of such Judges.
- (7) Where there is no such majority, the Judges shall state the point of law upon which they differ and the case shall, then, be heard upon that point only, by one or more of the other Judges of the High Court and such point

---

1 Substituted for “State Bench or Area Benches” by The Finance Act, 2023, effective date yet to be notified.

2 Substituted for “State Bench or Area Benches” by The Finance Act, 2023, effective date yet to be notified.

3 Substituted for “State Bench or Area Benches” by The Finance Act, 2023, effective date yet to be notified.

**Central Goods & Services Tax Act, 2017**

shall be decided according to the opinion of the majority of the Judges who have heard the case including those who first heard it.

- (8) Where the High Court delivers a judgment in an appeal filed before it under this section, effect shall be given to such judgment by either side on the basis of a certified copy of the judgment.
  - (9) Save as otherwise provided in this Act, the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), relating to appeals to the High Court shall, as far as may be, apply in the case of appeals under this section.
-

**धारा 117 : उच्च न्यायालय को अपील**

- (1) 1[अपील अधिकरण की राज्य न्यायपीठों] द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील फाइल कर सकेगा और उच्च न्यायालय ऐसी अपील के स्वीकार कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि मामले में विधि का कोई सारवान् प्रश्न अंतर्वर्लित है।
- (2) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील उस तारीख से, जिसको व्यथित व्यक्ति को अपीलगत आदेश प्राप्त होता है, एक सौ अस्सी दिन की अवधि में अपील फाइल की जा सकेगी और यह ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में सत्यापित होगी, जो विहित की जाए :
- परन्तु** उच्च न्यायालय उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी अवधि में इसको फाइल न कर पाने का पर्याप्त कारण था।
- (3) जहां उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि किसी मामले में विधि का सारवान् प्रश्न अंतर्वर्लित है वहां वह उस प्रश्न को विचरित करेगा और केवल इस प्रकार विचरित प्रश्न पर अपील की सुनवाई करेगा तथा प्रत्यर्था को अपील की सुनवाई के दौरान इस बात पर बहस करने की अनुमति होगी कि मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्वर्लित नहीं है :
- परन्तु** इस उपधारा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से न्यायालय की किसी अपील की, उसके द्वारा विचरित न किए गए विधि कि किसी अन्य सारवान् प्रश्न पर सुनवाई करने की शक्ति को समाप्त करने या उसका अल्पीकरण करने वाली है, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्वर्लित है।
- (4) उच्च न्यायालय इस प्रकार विचरित विधि के प्रश्न का विनिश्चय करेगा और ऐसे निर्णय को उन आधारों सहित जिन पर ऐसा निर्णय आधारित है, प्रदान करेगा और ऐसी लागत लगा सकेगा जो वह ठीक समझे।
- (5) उच्च न्यायालय किसी ऐसे मुद्दे का अवधारण कर सकेगा, जिसे—
- (क) 2[राज्य न्यायपीठों] द्वारा अवधारित न किया गया हो; या
- (ख) उपधारा (3) में यथानिर्दिष्ट विधि के ऐसे प्रश्न पर विनिश्चय के कारण 3[राज्य न्यायपीठों] द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से अवधारित किया गया हो।
- (6) जहां उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अपील फाइल की गई है, वहां उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों से कम की न्यायपीठ द्वारा नहीं सुनी जाएगी और उसका विनिश्चय ऐसे न्यायाधीशों या उनके बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा।
- (7) जहां ऐसा कोई बहुमत नहीं है, वहां न्यायाधीश विधि के उस बिन्दु को बताएंगे जिस पर वे मतांतर रखते हैं और वहां केवल उस बिन्दु पर उच्च न्यायालय के एक या अधिक अन्य न्यायाधीशों द्वारा मामले को सुना जाएगा और ऐसे न्यायाधीशों, जिन्होंने पहले इस मामले को सुना है, सहित सभी न्यायाधीशों के बहुमत की राय के अनुसार ऐसे बिन्दु पर विनिश्चय किया जाएगा।
- (8) जहां उच्च न्यायालय इस धारा के अधीन उसके समक्ष फाइल की गई किसी अपील में निर्णय देता है वहां ऐसे निर्णय को, उसकी सत्यापित प्रतिलिपि के आधार पर किसी भी

1 वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा शब्दों "राज्य न्यायपीठ या अपील अधिकरण की क्षेत्रीय न्यायपीठों" के स्थान पर प्रतिस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।

2 वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा शब्दों "राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों" के स्थान पर प्रतिस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।

3 वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा शब्दों "राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों" के स्थान पर प्रतिस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।

पक्ष द्वारा प्रभावी किया जाएगा।

- (9) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंध, जो उच्च न्यायालय के अपील से संबंधित है, इस धारा के अधीन अपीलों के संबंध में, जहां तक संभव हो, लागू होंगे।
-